मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः एफ: 9-9/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कोषालय के माध्यम से वेतन आहरण के प्रकरणों में गुमशुदा कटौत्रे (मिसिंग क्रेडिट) की राशि अभिदाता के खाते में जमा करने हेतु व्यवस्था ।

--•••--

शासन के ध्यान में यह तथ्य आया है कि परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत कई कर्मचारियों के अंशदान के कटौत्रे कर्मचारियों के प्रान में नहीं प्रदर्शित हो रहे हैं । अतः गुमशुदा कटौत्रों के नियमितीकरण के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

1. उन अभिदाताओं हेतु जहाँ परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना का कटौत्रा कोषालय में वेतन देयक के माध्यम से किया गया है, उनके मिसिंग क्रेडिट की जानकारी संबंधित कार्यालय प्रमुख से निर्धारित प्रपत्र-'ब' में सत्यापित किया जाकर संबंधित कोषालय अधिकारी जहाँ से वेतन आहरित हुआ है, को प्रेषित किये जायेगें । इस प्रपत्र के कॉलम 07 में उल्लेखित जानकारी कोषालय अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण किया जाना होगा ।

2. अभिदाताओं से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त जानकारी संबंधित कोषालय अधिकारी द्वारा सी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर में प्रविष्टि की जायेगी । कोषालय अधिकारी द्वारा दिन भर किये गये प्रविष्टियों के अनुसार अभिदाताओं की एक संकलित फाईल तैयार की जावेगी जिसे सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा को प्रेषित किया जावेगा ।

3. उपरोक्तानुसार अभिदाताओं के अंशदान कटौत्रों के वेतन आहरण करने के दिनांक से लेकर एन.एस.डी.एल. में जमा करने के दिनांक तक वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिये घोषित दर से ब्याज का भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा । प्रत्येक दिनांक को संगणित कुल ब्याज की राशि लेखा शीर्ष मांग संख्या-6 मुख्य शीर्ष 2071, (6854) अंशदायी पेंशन योजना #52 ब्याज/लाभांश भुगतान 001 ब्याज से आहरित कर संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा के स्टेट बैंक में संधारित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के खाते में जमा करेगें ।

4. संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल में प्रचलित वर्तमान प्रक्रिया अनुसार अभिदाताओं के कटौत्रे तथा ब्याज की राशि एन.एस.डी.एल. को हस्तांतरित किया जायेगा ।

अनुरोध है कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था का पालन करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

( मनीष रस्तोगी )
सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर, 2013

पृ.क्रं.: एफः 9-9/2013/नियम/चार

प्रतिलिपि

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा पर्यावास भवन, भोपाल म.प्र. ।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र. ।
3. समस्त संभागीय पेंशन अधिकारी म.प्र. ।
4. समस्त जिला पेंशन अधिकारी म.प्र. ।

(अजय चौबे )
अवर सचिव,
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

# प्रपत्र–'ब'

**Name of the Subscriber ............................................. Name of the Head of Office /District ..................................................**

| NSDL DTO Name | DDOName | Employee Code | Date of Joining |
|---|---|---|---|
| Registration No(As provided by NSDL) | Registration No . (As provided by NSDL) | PRAN No. | Date of Birth |

5.Deputation period : __________________ to ____________________________

6.Details of Contribution in the financial year :____________________

| Month | Subscriber Contribution | Government contribution | Total amount | Head of Account (Deposit) | Voucher Details (Treasury name Voucher No &Date | Verification by Treasury Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| April | | | | | | |
| May | | | | | | |
| June | | | | | | |
| July | | | | | | |
| August | | | | | | |
| September | | | | | | |
| October | | | | | | |
| Novermber | | | | | | |
| December | | | | | | |
| January | | | | | | |
| February | | | | | | |
| March | | | | | | |
| Total | | | | | | |

It is certified that information given above is verified by me and found correct .

Signature----------------------------------------

Name of the Head of the office-------------------------------

Seal-------------------------------